न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद, स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 292/2009
रामसेवक बनाम सरकार उ0प्र0

19.12.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 34ग2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 34ग2 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि पत्रावली एक पक्षीय साक्ष्य हेतु नियत है, जबकि वादी द्वारा नियमानुसार बिना सभी प्रक्रिया पूर्ण किए गलत तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया। आदेश दिनांक 19.01.2011 के बने रहने से हम प्रार्थीगण की अपूर्तिनीय क्षति है। ऐसी दशा में आदेश दिनांक 19.01.2011 को रिकाल करके प्रतिवादीगण को अपना वादोत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 25ग2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि मुकदमे में प्रतिवादीगण पर सम्मन तामील कराया गया उसके बाद मुकदमे में एडीजीसी सिविल हाजिर आये और उन्हें दावा का मुसन्ना दिया गया, परन्तु उन्होंने कोई वादोत्तर दाखिल नहीं किया। जिस पर दिनांक 19.01.2011 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित हो गया। वादी की ओर से दो गवाहों का शपथपत्र भी दाखिल हो चुका है। प्रार्थनापत्र महज मुकदमे को लिंगर करने के उद्देश्य से दिया गया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.01.2011 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित करने का आदेश पारित कर दिया गया। विधि की सदैव यह मंशा है कि वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाए। जहां तक वादी द्वारा उठाई गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 34ग2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 34ग2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय का आदेश दिनांकित 19.01.2011 अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 31.01.2018 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती